

# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश

प्रदेश में सी.पी.एस पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु नॉन-रिफंडेबल शिक्षण शुल्क के संबंध में  
(शैक्षणिक सत्र 2021-23)

// सूचना //

क्र./प्रशि./2022/203

भोपाल, दिनांक 22/04/2022

संदर्भ:- 1. विभागीय सूचना पत्रक क्र./प्रशिक्षण/2022/178 दिनांक 31/03/2022  
2. सी.पी.एस. मुम्बई का पत्र क्र./CPS/Admin/22-30/2022 दिनांक 05/04/2022


प्रदेश के 19 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में कॉलेज ऑफ फिजीशियनस् एण्ड सर्जनस्, मुम्बई से संबद्धता प्राप्त विभिन्न स्नातकोत्तर विधाओं के लिए 02 वर्षीय पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2021-23) में प्रवेश हेतु संदर्भित विभागीय सूचना क्र. 1 द्वारा नियम पुस्तिका विभागीय वेबसाइट <http://www.health.mp.gov.in/en/training-orders> पर प्रदर्शित की गई है।

सी.पी.एस. मुम्बई के संदर्भित पत्राचार क्र. 2 के अनुक्रम में उक्त नियम पुस्तिका के नियम 33 में निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाता है:-

सी.पी.एस पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सीट आवंटित होने के उपरान्त सी.पी.एस. मुम्बई द्वारा निर्धारित निम्नानुसार शुल्क का भुगतान चयनित चिकित्सक द्वारा स्वयं करना होगा:-

- Admission eligibility, Enrolment (Diploma) and E-learning fees - Rs. 85,000/-
- CPS Diploma Courses Electronic Monitoring Device (EMD)  
Study Material Fees - Rs. 75,000/-

नियम पुस्तिका के शेष नियम यथावत रहेंगे।

  
(दिनेश श्रीवास्तव)  
संचालक,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
मध्य प्रदेश